

वन भूमि के अतिरिक्त चिन्हित "वन स्वरूप क्षेत्रों" की कोई भूमि को

सम्मिलित न होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद लखनऊ में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-24 (दिल्ली-लखनऊ रोड) के कि.मी. 464.700 से कि.मी. 489.00, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-25 के (लखनऊ-हरदोई रोड) कि.मी. 224.00 कि.मी. 262.50, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-56 (लखनऊ-सुल्तानपुर रोड) (सोमनाथ द्वार-शहीद पथ वॉया अर्जुनाज) के कि.मी. 3.35 से कि.मी. 10.00, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या (लखनऊ-सुल्तानपुर रोड) हजरतगंज चौराहा से मायावती आवास के कि.मी. 00.00 से कि.मी. 02.00, (लखनऊ-सुल्तानपुर रोड) अर्जुनाज-लिक शहीद पथ) के कि.मी. 10.00 से कि.मी. 11.50, राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या - 24बी (लखनऊ-रायबरेली रोड) के कि.मी. 5.50 से कि.मी. 23.00 तक कुल कि.मी. 90.45 एवं 0.9533 हे० सरक्षित वन भूमि में भूमिगत आर्टिकल फाइबर केबल बिछाने की अनुमति इस प्रस्ताव में सरक्षित वन भूमि के अतिरिक्त चिन्हित वन स्वरूप क्षेत्रों की कोई भूमि सम्मिलित नहीं है।

उप प्रमाणित वनाधिकारी,
लखनऊ।

प्रमाणित वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग, लखनऊ।